


कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय(माध्यमिक) कोटा

--: कार्यालय आदेश --:

श्रीमान निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा-मा/संस्था/एफ-1/12102/शा0श10 ग्रेड- III/सी.भ./वो-1/2017-18 दिनांक 29.11.2019 द्वारा चयनित राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा तृतीय वेतन श्रृंखला शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक पद पर भर्ती परीक्षा 2018 हेतु वेतन लेवल L-10 पद पर चयनोपरान्त नियुक्ति देने हेतु इस कार्यालय को आवंटित किये जाने के फलस्वरूप निम्नांकित आशार्थियों को तृतीय वेतन श्रृंखला शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेश के पद पर वेतन लेवल L-10 में दो वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियत मानदेय 23700/- पर नियुक्ति दी जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। परिवीक्षाधीन अवधि में इन्हें कार्यग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.12(6)एफडी(नियम)/05 दिनांक 13.03.2006 के प्रावधानानुसार नियत मानदेय अथवा पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन मानदेय के रूप में देय होगा। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.3(1)कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी। इनकी नियुक्ति एवं पदस्थापन की कार्यवाही राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.17(8)शिक्षा-2/2013 दिनांक 15.11.2019 में वर्णित निर्देशानुसार दिनांक 07.12.2019 को आयोजित परामर्श शिविर (councilling) में अभ्यर्थियों से प्राप्त विकल्प के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में पदस्थापन किया जाता है।

क्रस	वरी0 क0	मेरिट न0	रोल न0	नाम	जन्मतिथि	लिंग	वर्ग	स्वीकृत वर्ग	पदस्थापन स्थान	ब्लॉक	फोटो
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	36	1950	510476	द्वारकालाल अहीर	16-Jul- 75	MALE	OBC	OBC	राउप्रावि मवासा	खैराबाद	


संबंधित संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेंगे।

- 01 नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र संबंधी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य-प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावे। इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
- 02 विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने संबंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है तो तत्संबंधी आशय का 50/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
- 03 कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र लेवे की उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएँ एवं दस्तावेज सही है, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
- 04 कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3) कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार घूमपान/मद्यपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबंधता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।
- 05 कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.7(1)डीओपी/ए-II/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित आशार्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके बाद उत्पन्न संतानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या दो या दो से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का आवश्यक रूप से शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप में 50/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
- 06 कार्यग्रहण करवाने से पूर्व आवेदक से दहेज नहीं लिये जाने का स्व-घोषणा पत्र (प्रारूप) प्राप्त किया जावे।
- 07 चयनित अभ्यर्थियों को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017 के अनुसार वेतन L-10 में प्रोवेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोवेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय 23700/- रु. प्रतिमाह / विद्यमान वेतनमान पर नियुक्ति देय होगा।
लगातार.....
- 08 परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोवेशन ट्रेनी) की अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते तथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन (डीपी), विशेष वेतन, बोनस, आदि देय नहीं होंगे।



- 09 परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोवेशन ट्रेनी) की अवधि में राज्य बीमा, सामान्य प्रावधानी निधि, आदि की कटौती नहीं की होगी।
- 10 परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के गणना योग्य नहीं माना जावेगा।
- 11 परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-12(9) एफ.डी.(रुल्स) 2017 जयपुर, दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।
- 12 वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-12(9) एफ.डी.(रुल्स) 2017 जयपुर, दिनांक 30.10.2017 के अनुसार प्रोवेशन ट्रेनी के फिक्स रेमुनेरेशन से नदीन पेंशन अंशदान की कटौती नियमानुसार होगी।
- 13 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदेश प्रसारित विज्ञप्ति शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड-III मर्ती परीक्षा 2018 के प्रकरण में माननीय न्यायालय में दायर उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर में विचाराधीन रिट संख्या 13257/2018, 15078/2019, एवं 17309/2019 तथा अन्य समान याचिकाओं में पारित होने वाले अंतिम निर्णयों के अध्याधीन होगी।
- 14 इनके कार्यग्रहण की सूचना संबंधित संस्थाप्रधान शाला दर्पण पर कार्यग्रहण करवाकर इस कार्यालय को आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।


इन्हें नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 13.2.2020 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करने पर आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज/सूचनाएँ सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के सेवाएँ समाप्त की जा सकेंगी।


 (गंगाधर मीणा)
 जिला शिक्षा अधिकारी
 मुख्यालय माध्यमिक कोटा
 दिनांक:-28.01.2020

क्रमांक : जिशिअ/मु.मा/को/संस्था-1/नियुक्ति शाशि III 2018/2019/916

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. श्रीमान शासन उपसचिव, शिक्षा ग्रुप-2 विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. श्रीमान सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
3. श्रीमान निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. श्रीमान संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, कोटा।
5. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कोटा।
6. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (प्रारम्भिक) कोटा।
7. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जिला कोटा को अभ्यर्थियों के मूल आवेदन पत्र मय नियुक्ति आदेश संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि निदेशक महोदय एवं स्थानीय कार्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में कार्यग्रहण की कार्यवाही सम्पन्न करावे।
8. संबंधित संस्थाप्रधान/पीईईओ _____।
9. संबंधित आशार्थी _____।
10. परिष्कृता अनुभाग ।
11. रक्षित पत्रावली।


 (गंगाधर मीणा)
 जिला शिक्षा अधिकारी
 मुख्यालय माध्यमिक कोटा